न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :— रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
211/2008	22.07.2008	02.02.2021

उनवान

1. निरंजनलाल पुत्र चिरजीलाल जाति महाजन
2. नोबतराम पुत्र दीनदयाल जाति महाजन निवासी बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादीगण

बनाम

1. सियाराम पुत्र दुर्गादास जाति महाजन निवास बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0। (मृतक)

1/1 मायादेवी बेवा सियराम

1/2 रविन्द्र कुमार पुत्र सियाराम

1/3 विजेन्द्र कुमार पुत्र सियाराम जाति महाजन निवासी बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 हाल निवासी केयर आफ अजय माहन झॉ साहब पटटी कातला वाली गाली चन्द्रशेखर आजाद कॉलानी गंगा पोल गोट बाहर बास बदनपुर जयपुर राज0।

1/4 सविता पुत्री सियाराम स्त्री अशोक कुमार हाल निवासी केयर आफ भुपेश एण्ड के खाद बीज के विक्रेता स्टेशन रोड बावल जिला रेवाडी हरि0।

1/5 समय पुत्री सियाराम स्त्री बाबूलाल केयर ऑफ मातादीन मुप्ता मु0 पो0 सोडावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

1/6 इन्द्रा देवी पुत्री सियाराम स्त्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता निवासी हाई वेयर मचैन्ट पुरानी अनाज मण्डी अलवर राज0।

1/7 पुनम पुत्री सियाराम स्त्री मुकेश कुमार मुप्ता केयर आफ जयनारायण गुप्ता आर. जेड 91 गली नं0 14 ए/5 सादनगर पालम कालानी नई दिल्ली —45

1/8 मीरा पुत्री सियाराम निवासी बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

2 मुरारीलाल पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति महाजन

3 मनोज पुत्र धनश्याम पुत्र दुर्गाप्रसाद

4 रविन्द्र पुत्र धनश्याम पुत्र दुर्गाप्रसाद

5 सन्तोष कुमार पुत्र धनश्याम पुत्र दुर्गाप्रसाद

6 हजारीलाल पुत्र दुर्गाप्रसाद

7 राजेन्द्र पुत्र जगदीश पुत्र चिरंजीलाल

8 महेन्द्र पुत्र जगदीश पुत्र चिरंजीलाल

9 सुरेन्द्र पुत्र जगदीश पुत्र चिरंजीलाल

10 नरेन्द्र पुत्र जगदीश पुत्र चिरजीलाल जाति महाजन निवासी बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:23:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

11 श्रीमान उप पंजीयक महोदय तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

—: असल प्रतिवादी

12 घर्मपाल पुत्र चिरंजीलाल
13 चेतराम पुत्र चिरजीलाल
14 कांसीराम पुत्र चिरजीलाल
15 रामनिवास पुत्र चिरंजीलाल
16 औमप्रकाश पुत्र दीनदयाल
17 राधेश्याम पुत्र दीनदयाल
18 सुषमा बेवा तेजपाल
19 डालू पुत्र तेजपाल सरपरस्त जर्ये माता मु0 सुषमा बेवा तेजपाल जाति महाजन निवासी बीजवाड चौहान तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: तरतीबी प्रतिवादी

दावाः— अर्न्तगत धारा 88 एवं 188 राज0 काश्त0 अधिनियम

....

—: निर्णय :—

दिनांक :— 02.02.2021

उपस्थिति :—
1— श्री सरजीत कुमार, वकील वादीगण
2— श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता—, वकील प्रतिवादीगण

मिन वादीगण वाद निम्न प्रस्तुत है :—

यह है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 360 रकबा 0.38 ऐयर, 362 रकबा 0.44 ऐयर, 358 रकबा 0.44 ऐयर, 359 रकबा 0.38 ऐयर, 361 रकबा 0.51 ऐयर, 364 रकबा 0. 68, 357 रकबा 0.44 ऐयर, 363 रकबा 0.76 ऐयर वाके ग्राम हुलमाना कला तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित है जो आराजी वाद में विवादित कहलावेगी। उक्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की खरीद शुद्वा आराजी है मिन वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता एवं दादा अविभाजित सयुक्त हिन्दू परिवार में एक साथ रहते थे। संयुक्त परिवार व कर्ता धर्ता मृतक दुर्गाप्रसाद पुत्र झम्मनलाल वादीगण एवं प्रतिवादीगण का ताउ एवं दादा था कुल हिसाब किताब करोबार व खारीद फरोत मृतक दुर्गाप्रसाद करते थे एवं हिन्दू मुर्शतका [illegible] के चल/अचल सम्पत्ति की देखभाल व खरीद फरोक्त संयुक्त हिन्दू परिवार सयुक्त आये से [illegible] थे। वक्त खरीद उपरोक्त आराजी मिन वादीगण व प्रतिवा[illegible] असल व [illegible] प्रति[illegible] संयुक्त परिवार मे रहे है। मिन वादीगण असल प्रतिवादी[illegible] एवं तरतीबी प्रति[illegible] एक ही खानदान व परिवार के सदस्य है मिन वादीगण [illegible] प्रति[illegible] के बुजर्ग झम्मनलाल के वारिसान है जिसका [illegible] है। यह है कि विवादित आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की आराजी है कुल विवादित आराजी में मिन वादी सं0 एवंत र प्रति0 12, 13, 14, 15 एवं असल प्रतिवादीगण 7 लगा 10 का

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:23:40 IST
Reason: SelfAttested

1/3 भाग खातेदार काश्तकार आराजी है एवं वादी सं0 2 व प्रति0 स0 16 औमप्रकाश, राधेश्याम व तेजपाल के वारियान सुषमा व लालू सम्भाग दर 1/3 भाग के खातेदार काबिज काश्त आराजी है इसी प्रकार से पक्षकारान अपने हिस्से के मुताबिक कुल आराजी काबिज होकर काश्त कर रहे है। असल प्रतिवादीगण 1 ल0 6 के पिता व दादा मृतक दुर्गाप्रसाद संयुक्त परिवार का कर्ता धर्ता रहा है बेईमानी पूर्वक विवादित खरीद शुद्वा आराजी खसरा नम्बर 360, 362 प्रतिवादी सं0 7 लगा 10 के पिता जगदीश से साज–बाज होकर उसके नाम बयनामा करा दिया एवं विवादित आराजी खसरा नम्बर 358, 359, 361, 364 असल प्रतिवादी स0 1 लगा0 6 के पिता व दादा दुर्गाप्रसाद पुत्र झम्मन लाल से अपने नाम से रजिस्टर्ड बयनामा करा लिया है एवं विवादित खसरा नम्बर 357, 363 अपने बडे लडके सियाराम के नाम दुर्गाप्रसाद ने रजिस्टर्ड बयनामा करा दिया है जो विधिक रूप से गलत है चुकि कुल आराजी सयुक्त परिवार की आय खरीद की है व सयुक्त परिवार राहा है। मिन वादीगण व असल प्रतिवादीगण व तर0 प्रति0 के बुजग्र के मध्य में सयुक्त परिवार की चल/अचल सम्पत्ति बाबत विवाद हो गया है। दिनांक 16.06.1982 को सयुक्त परिवार ने कुल जायदाद व आराजी के बारे में एक लिखित पारिवारिक समझौता किया है सि पर मृतक दुर्गाप्रसाद, दीनदयाल, चिरंजीलाल के हस्ताक्षर है व पारिवारिक समझौता के अनुसार ही पक्षकार के अनुसार ही पक्षकार विवादित आरजी पर काबिज काश्त आराजी है। मिन वादीगण को इस बाबत पूर्व में जानकारी नही यही है आपसी विवाद होने परमिन वादीगण के बुआजी का लडका मुरलीधर निवासी अजबपुर तहसील बानसूर ने दिनांक 19.07.2008 को मिन वादीगण को बताया की पूर्व में आपका पारिवारिक समझौता चल/अचल सम्पत्ति बाबत हो चुका है पारिवारिक समझौता का कागजात असल मेरे पास है। मिन वादीगण ने उक्त व्यक्ति से असल कागजात दिखाने से मना कर दिया व असल दस्तावेजात की फोटो प्रति दी। विवादित आराजी बाबत असल प्रतिवादीगण ने मिन वादीगण एवं तर0 प्रति0 को विवादित आराजी से काश्त करने के लिये मना किया है एवं विवादित आराजी को अपने नाम खातेदारी रिकोर्ड में दर्ज होना बताया तथा दिनांक 19.07.2008 को विवादित आराजी को बेचान करने व आराजी से बेदखल करने की धमकी दी है। पस यही बिनायदवी व बिनायुखसमत पैदा होकर दावा करना लाजिमी आया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी जवाब पेश किया। प्रतिवादी ने जबाब में अवगत कराया है कि विवादित आराजी संयुक्त परिवार की आराजी नही है ना ही सयुक्त परिवार की खरीद शुद्ध है ना पक्षकार का कोई संयुक्त परिवार है दीनदयाल [illegible] चला गया था तथा चिंरजीलाल व दुर्गाप्रसाद सन 1964 से [illegible] तथा यह आराजी प्रतिवादी सियाराम व उनके पिता दुर्गाप्रसाद [illegible] वादीगन व तरतीबी प्रतिवादी 7 लगा0 10 का कोई सरोकार [illegible] नही है। खसरा नम्बर 360 व 362 जगदीश प्रसाद पुत्र [illegible] आरजी है तथा शेष आराजी मिन प्रातिवादी 1 लगा0 5 की खरीदशुदा कब्जा [illegible]श्त खातेदारी की आराजी है। जिससे वादीगण, तरतीबी प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगन 7 लगा 10 का कोई सरकोर वो संबंध ही है। मिन प्रतिवादीगन 1 लगा 06 के पिता व दादा मृतक दुर्गाप्रसाद ने अपनी स्वअर्जित आय से आराजी खसरा नम्बर 263 क्रय की थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:23:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज0

जिसका भैरू पुत्र पुन्ना अहीर से तबादला किया है और उसके बदले से आराजी खसरा नम्बर 358, 359, 361 व 364 व 364 का बयनामा दुर्गाप्रसाद ने कराया गया है बल्कि तबादला से प्राप्त की है जो तबादला दिनांक 27.06.1979 को किया था। आराजी संयुक्त परिवार की है ना दिनांक 16.06.82 को कोई पारिवारिक संमझोता हुआ ना ही मुरलीधर निवासी अजबपुरा को कोई पंच नियुक्त किया गया। मृतक दीनदयाल झब्बूराम के गोद चला' गया था ओर राजेन्द्र अपने नाना के यहा मुन्डनवाडा में जगदीश के गोद गया है जिस तथ्य को छिपाकर वाद दायर किया गया है। इसलिए वाद को खारीज किया जावे। वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में बटाईनामा पत्र दिनांक 20.05.2013 प्रदर्श–1, राजस्थान खाद्यान्न व्यापारी लाईशस प्रदर्श–2, भुगतान कि लिए माग पत्र प्रदर्श–3, वाणिज्यिक कर दिनांक का निर्णय दिनांक 13.03.69 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2062–65 प्रदर्श–5, ग्राम पंचायत बीजवाड चौहान का पत्र दिनांक 09.08.2008 प्रदर्श–6 एवं बटवारे की फोटोप्रति पेश किये है जो शामिल मिसल है। वकील वादी की बहस सुनी गई । दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड होने का निवेदन करते हुये वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर कागजात माल में अमल दरामद करने का निवेदन किया है। प्रतिवादी ने दौराने बहस कहा की विवादित भूमि क्रय शुदा होने, संयुक्त परिवार होने का कोई ठोस सबूत नही होने, गोदनामा आदि के आधार पर नही पाये जाने के कारण वादी का वाद को खारीज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस 'सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर वादीगण अपना वाद साबित नही करने पर अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादीगण साबित नही किये जाने के कारण वादी के वाद को खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:23:40 IST
Reason: SelfAttested

02/2/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0